202

संo:– 588/IV(2)-श0वि0–2013–14(NURM)08

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–12 जून, 2013

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के पाण्डेवाला में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 558/IV(2)–श0वि0–08–14(एनयूआरएम)/08 दिनांक 23.08.2008, शासनादेश संख्या 458/IV(2)–श0वि0–09–14(एनयूआरएम)/08 दिनांक 31.07.2009, शासनादेश संख्या भा0स0–235/IV(2)–श0वि0–10–14(एनयूआरएम)/08 दिनांक 26.11.2010 एवं शासनादेश संख्या भा0स0–171/IV(2)–श0वि0–11–14(एनयूआरएम)/08 दिनांक 29.09.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के पाण्डेवाला में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत ₹ 434.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 344.41 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2– उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(4)/PFI/2013–8, दिनांक 10.04.20133 द्वारा उक्त योजना की चतुर्थ किस्त, केन्द्रांश ₹ 72.39 लाख अवमुक्त किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त ₹ 72.39 लाख तथा इसके सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 18.10 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 90.49 लाख में से लाभार्थी अंश ₹ 24.99 लाख को घटाने के पश्चात **₹ 65.50 लाख (रूपये पैंसठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
3. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उप मिशन बी0एस0यू0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

9. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और उपयोग का उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

10. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

11. लाभार्थी अंश, लाभार्थियों से प्राप्त कर लिया जाय और कार्य, प्रत्येक दशा में समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. अब तक हुए विलम्ब तथा उसके कारण हुई लागत वृद्धि के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय एवं बढ़ी हुयी लागत को भारत सरकार से अनुमोदित कराकर उसके सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स (80प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के **नामे ₹ 51.74 लाख, अनुदान संख्या–30**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–01–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे **₹ 11.80 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–01– बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे **₹ 1.96 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 100/XXVII(2)/2011, दिनांक– 04 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–s.1306130392....., s.1306300393 एवं s.1306310394 ... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0 588(1)/IV(2)-श0वि0–13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।